भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE
भारत INDIA COURT FEE TWENTY RUPEES

राजस्व पुनरीक्षण क्र. /2016–2017

माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

49

R 4201 – PB/2016

राजू पिता वेणीप्रसाद, जाति छीपा,
निवासी खातेगांव, जिला देवास म.प्र. — प्रार्थी

पेश श्रीवास्तव, अभि. आज दि 13-12-16 को
13.12.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन तर्फे श्रीमान पटवारी महोदय
खातेगांव, प.ह.नं. 37, खातेगांव, जिला देवास म.प्र. — प्रतिप्रार्थी

55
3-12-16
13/12/16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता

प्रार्थी माननीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव, जिला देवास द्वारा पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. 230–बी/121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 (जिसके द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्र. 16/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2016 को निरस्त किया) से असंतुष्ट एवं दुखित होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका विधि एवं तथ्य के मिश्रित प्रश्नों पर नियत अवधि में योग्य न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत करता है –

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4201–पीबीआर/16 जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–8–2017	आवेदक की ओर से श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री आर.पी. पालीवाल, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को ग्राह्यता पर सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17–10–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 230/बी–121/2015–16 (पुनर्विलोकन) में आदेश पारित किया गया है, जो कि अन्तिम प्रकृति का आदेश है । अन्तिम प्रकृति के आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाये । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	